UPEW010065962025

न्यायालय Spl. Judge (E.C. Act), Etawah

पीठासीन अधिकारी– (Sri Ankur Sharma), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP01632**

Criminal Misc. Cases 506/2025

SHYAMA DEVI Vs. State of UP

थाना – ऊसराहार

जिला–इटावा

24.03.2026

1. पत्रावली आदेशार्थ प्रार्थना पत्र 3 ख हेतु पेश हुई।

2. प्रार्थना पत्र 3 ख, आवेदिका श्रीमती श्यामा देवी द्वारा न्यायालय सिविल जज (जू0–डि0), एफ.टी.सी./न्यायिक मजिस्ट्रेट(महिलाओ के विरूद्ध अपराध),इटावा द्वारा परिवाद संख्या 1088/2023 श्रीमती श्यामा देवी बनाम दीपेश आदि थाना ऊसराहार जिला इटावा में पारित आदेश 15.02.2025 के विरुद्ध निगरानी योजित करने में हुई देरी के कारण अंतर्गत धारा–5 लिमिटेशन एक्ट का लाभ दिये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

3. प्रार्थना पत्र 3 ख मय शपथपत्र समर्थित 4 ख आवेदिका/ निगरानीकर्ता की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वादिनी उपरोक्त निगरानी में निगरानीकर्ती है जिसमें आदेश दिनांक 15.02.2025 के विरूद्ध निगरानी दाखिल की है जो कि न्यायालय में विचाराधीन है। वादिनी के अधीनस्थ न्यायालय सिविल जज (जूनियर डिवीजन) एफ०टी०सी० न्यायिक मजिस्ट्रेट/महिलाओं के विरूद्ध अपराध, इटावा के यहाँ से दिनांक–15.02.2025 को परिवाद धारा 203 द०प्र०सं० के तहत खारिज कर दिया गया था जिसकी नकल वादिनी ने दिनांक 25.03.2025 को नकल विभाग में डाली थी उसके बाद दिनांक 04.04.2025 को प्राप्त हुई है जिसको लेकर अपने वकील साहब को दिखाने के लिये इटावा जा रही था कि रास्ते में सड़क पर गिर जाने से पैर में चोट लग जाने के कारण चलने फिरने में असमर्थ हो गयी थी जिसके कारण समय पर न्यायालय नहीं आ सकी जिससे निगरानी दाखिल करने में देरी हो गयी है जो क्षमा योग्य है। वादिनी ने जानबूझकर निगरानी दाखिल करने में देरी नहीं की है बल्कि चलने फिरने में असमर्थ हो गयी थी इस लिये इटावा नहीं आ सकी। निगरानीकर्ता दिनांक–13.10.2025 को न्यायालय आयी है तब अपनी निगरानी दाखिल कर रही है अतः प्रार्थना है कि निगरानीकर्ती को धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ देते हुये निगरानी की सुनवाई की जाने की कृपा की जाये।

Digitally signed by ANKUR SHARMA
Date: 2026.03.24 15:57:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

4. आवेदिका/निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया। शेष विपक्षीगण पर नोटिस तामीला है परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं है और न ही कोई आपत्ति प्रस्तुत की गयी है।

5. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत मामले में न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0), एफ.टी.सी./न्यायिक मजिस्ट्रेट(महिलाओ के विरूद्ध अपराध),इटावा द्वारा परिवाद संख्या 1088/2023 श्रीमती श्यामा देवी बनाम दीपेश आदि थाना ऊसराहार जिला इटावा में पारित आदेश 15.02.205 के विरुद्ध निगरानी योजित करने में हुई देरी के कारण धारा–5 लिमिटेशन एक्ट के अन्तर्गत लाभ दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 3 ख मय शपथपत्र 4 ख दिनांकित 15.10.2025 प्रस्तुत कर निगरानी प्रस्तुत किये जाने में विलम्ब का कारण आक्षेपित आदेश की जानकारी दिनांक 25.03.2025 को होना तथा आदेश की सत्यापित प्रति दिनांक 04.04.2025 को प्राप्त होना तथा चोट लगने के कारण चलने फिरने में असमर्थ हो जाना अभिकथित किया गया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुण–दोष के आधार पर मामले का निस्तारण किया जाना चाहिए। ऐसी दशा में मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र 3 ख न्यायहित स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका/निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र 3 ख अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार दाण्डिक निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

पक्षकारों को निर्देशित किया जाता है कि दाण्डिक निगरानी के अंगीकरण हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय इटावा के समक्ष दिनांक 15.04.2026 को उपस्थित हों।

कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह संपूर्ण पत्रावली अंगीकरण पर सुनवाई हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के कार्यालय में अविलम्ब प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें।

दिनाँक 24.03.2026

(अंकुर शर्मा)
विशेष न्यायाधीश (आ 0 व 0 अधि0)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4, इटावा।
J.O. CODE : UP01632

विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुण–दोष के आधार पर मामले का निस्तारण किया जाना चाहिए। जहां तक निगरानी प्रस्तुत किये जाने में विलम्ब का प्रश्न है उसकी पूर्ति हर्जे से की जा सकती है। ऐसी दशा में मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र 3 ख न्यायहित में हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 3 ख अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम मु० 400/–रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार दाण्डिक निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

हर्जा अदा करने के पश्चात पक्षकारों को निर्देशित किया जाता है कि दाण्डिक निगरानी के अंगीकरण हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय इटावा के समक्ष दिनांक–05.09.2025 को उपस्थित हों।

कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह संपूर्ण पत्रावली अंगीकरण पर सुनवाई हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के कार्यालय में अविलम्ब प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें।

(अंकुर शर्मा)
विशेष न्यायाधीश (आ 0 व 0 अधि0)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4, इटावा।
J.O. CODE : UP01632